संख्या–203/ III–2/06–09(प्रा.आ) /2005

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून,दिनांक 28 जनवरी , 2006

विषयः– राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी तेगबहादुर रोड जंक्शन से रिंग रोड तक रिस्पना नदी पर सेतु सहित मार्ग का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे) लोक निर्माण विभाग,पौड़ी के पत्र सं.– मैमो–4 (दे.दून (ग.क्षे.) दिनांक 12.12.2005,—— के द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रश्नगत कार्य के पुनरीक्षित आगणन के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0 463/ III –2/2005–09 (प्रा.आ.)/2005 दिनांक 30 मार्च, 2005 के संलग्नक के क्रमांक–22 पर उल्लिखित कार्य के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी तेगबहादुर रोड जंक्शन से रिंग रोड तक रिस्पना नदी पर 1.81 किमी. + 90 मी0 सेतु सहित मार्ग का निर्माण की मूल प्रशासकीय स्वीकृति रू0 515.04 लाख एवं रू0 0.10 लाख (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति कको निरस्त करते हुए बढ़ी दरों एवं अतिरिक्त कार्य के आधार पर जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी तेगबहादुर रोड जंक्शन से रिंग रोड तक रिस्पना नदी पर सेतु निर्माण के संबंध में उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये रू0 640.64 लाख की लागत के आगणन के टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित रू0 609.85 लाख (रू0 छः करोड़ नौ लाख पिचासी हजार मात्र) की लागत के आगणन की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 5.00 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि यदि इस कार्य के मूल आगणन पर पूर्व स्वीकृत रू0 0.10 लाख की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और कार्य समान है तो उक्त एवं इस स्वीकृत की जा रही धनराशि को उक्त योजना के विपरीत स्वीकृत मानते हुए भविष्य में अवशेष रू0 604.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है,स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8. आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद मे किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा ।

12. इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला और अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय 03-राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृत्त निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 155/XXVII(2)/2006, दिनांक 28 जनवरी 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-202(1)/III-2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2- आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी ।
3- जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ,देहरादून ।
4- मुख्य अभियन्ता , गढ़वाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौड़ी ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून।
7- अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून ।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 देहरादून ।
9- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।